सतर्क राजस्थान

**COVID-19**
**MOST-URGENT**

राजस्थान सरकार

# कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांकः सामान्य/चिकित्सा/2020/30112 दिनांक 08 मई, 2020

## :: आदेश ::

कोविड–19, नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत भीलवाड़ा जिले के प्रवासी श्रमिक/व्यक्ति, जो अन्य जिलो एवं राज्यो से अब तक जिले में आ चुके हैं अथवा जिले में पहुँचने वाले हैं, में से अधितकर उन स्थानो से आ रहे है, जहां रेड जोन है, अथवा हॉट स्पॉट हैं। इनके रेड जोन अथवा हॉट स्पॉट क्षेत्र से आने से जिले में कोराना वयरस संक्रमण की अत्यधिक संभावना हैं।

भीलवाड़ा जिले में कोराना वायरस संक्रमण की रोकथाम, नियंत्रण एवं बचाव के क्रम में जिले में हाल ही में बाहर के जिलो/राज्यो से आये प्रवासी श्रमिक/व्यक्तियो, चाहे वे वैध रूप से अनुमति प्राप्त करके आये है अथवा अवैध रूप से छिपकर आये हो, की सूचना स्थानीय / जिला प्रशासन को प्रकट होना आवश्यक हैं। अतः इस संबंध में आदेश दिये जाते हैं कि –

| | |
|---|---|
| 1. | सभी राजकीय अधिकारी/कर्मचारियो, स्थानीय जन प्रतिनिधियो, सामाजिक संगठनो, प्रबद्धजनो से अपील की जाती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति/प्रवासी श्रमिको के जिले में आने की गोपनीय सूचना स्थानीय / जिला प्रशासन को उपलब्ध करावे। जिला प्रशासन को उक्त संबंधी जानकारी जिला स्तर पर संचालित वॉर रूम, जिसके दूरभाष नम्बर 01482 – 232607, 233035, 233036 पर दी जावे। |
| 2. | प्रभारी अधिकारी, वॉर रूम, भीलवाड़ा वॉर रूम में उक्त संबंधी प्राप्त होने वाली सूचनाओ को निर्धारित प्रपत्र में संकलित कर, अधो–हस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करेगे तथा निर्देशानुसार समस्त आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित करेगें। |
| 3. | प्रभारी अधिकारी, वॉर रूम, भीलवाड़ा समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट से भी उक्त संबंधी सूचना प्राप्त करेगे तथा अधो–हस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करेगे तथा निर्देशानुसार समस्त आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित करेगें। |
| 4. | वॉर रूम द्वारा उक्त संबंधी संकलित सूचना प्रतिदिन सायं 5.00 बजे तक प्रभारी सर्वे प्रकोष्ठ, जिला कार्यालय को भिजवायेगें। |

आदेश की अक्षरशः पालना सभी संबंधित द्वारा सुनिश्चित की जावे।

संलग्न :– प्रारूप

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि – पालनार्थ एवं त्वरित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

1. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा
2. अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), भीलवाड़ा
3. अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भीलवाड़ा
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
5. प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग, भीलवाड़ा
6. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, वॉर रूम, भीलवाड़ा
7. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, नियंत्रण कक्ष, भीलवाड़ा
8. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
9. जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा
10. प्राचार्य, राजमाता विजयाराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा
12. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा
13. आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा
14. जिला परिवहन अधिकारी, भीलवाड़ा / शाहपुरा
15. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, भीलवाड़ा
16. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा
17. सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भीलवाड़ा
18. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिला भीलवाड़ा
19. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
20. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जिला भीलवाड़ा
21. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाड़ा
22. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाड़ा को भेजकर लेख हैं कि उक्त आदेश का समाचार पत्रो, मिडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे तथा मिडिया कवरेज में प्रमुखता दी जावे।
23. प्रभारी, कोरोना सर्वे प्रकोष्ठ, भीलवाड़ा
24. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा